# न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
## (अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
## प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 26/2021
## दायर दिनांक : 29.09.2021
## आदेश दिनांक : 17.03.2026

**अनवान**

माधुसिंह पिता केशरसिंह जाति सोलंकी राजपूत निवासी ढोडीवास तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

– **प्रार्थी**

**बनाम**

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भू अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. क्षेत्रीय अधिकारी एवं परियोजना निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय डी.सी.एम. अजमेर रोड़, जयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, गढबोर

– **विपक्षीगण**

**क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997**

**एवार्ड प्रकरण अधिसूचना क्रमांक 2946 (अ) दिनांक 30.09.2013/2015 दिनांक 15.04.2015**

**उपस्थित :–**

श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता – अधिवक्ता प्रार्थी
श्री अनुराग शर्मा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 02
श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 01 व 03

## :: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 की धारा 3जी(5) के तहत एवार्ड प्रकरण अधिसूचना क्रमांक 2946 (अ) दिनांक 30.09.2013/2015 दिनांक 15.04.2015 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग

संख्या 8 को बाघाना से गौमती चौराहा खण्ड तक (किमी 147.750 से किमी 177.050 तक) 4 लाईन सड़क निर्माण परियोजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी उप धारा 2 के अनुसरण में दिनांक 18.12.2015 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 3470 दिनांक 18.12. 2015 के तहत अधिसूचना जारी कर प्रार्थी की भूमि राजस्व ग्राम धानीन के खसरा संख्या 2594/101 रकबा 0.0108 हेक्टेयर को भी अवाप्त किया गया। जिसका मुआवजा मात्र 6,89,000/– रूपये तय किया गया है। उक्त अवाप्ति की कार्यवाही में प्रार्थी द्वारा रखे गये पक्ष के संबंध में किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर नहीं दिया और मौके पर उक्त भूमि जो अवाप्त की गयी है उसके संबंध में न तो मौके पर सर्वे किया गया, न ही मौके पर बनी हुई संरचना, बाउण्ड्रीवाल का मुआवजा निर्धारित किया गया है। उक्त भूमि के संबंध में अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा मात्र 1076 वर्गमीटर की दर से तय किया गया है जबकि उक्त भूमि की वर्तमान बाजार दर 1000 /– रूपये प्रति वर्गफीट है जबकि मुआवजा मात्र 100 रूपये प्रति वर्गफीट तय किया गया है। उक्त भूमि मुख्य सड़क नेशनल हाईवे संख्या 8 से सटी हुई है जिसकी तत्कालीन वाणिज्यिक दर भी डीएलसी अनुसार 1000 रूपये प्रति वर्गफीट थी। जबकि उक्त भूमि का मुआवजा आवासीय दर से निर्धारित किया गया है जबकि उक्त भूमि आबादी हेतु नियमन/रूपान्तरणशुदा है। राज्य सरकार नेशनल हाईवे से सटी हुई भूमि का पंजीयन किसी भी किस्म की होने पर भी वाणिज्यिक दर से पंजीयन की राशि स्टाम्प डयूटी के रूप में वसूल करती है लेकिन उक्त मामले में भूमि का मुआवजा मात्र 100 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से तय किया गया है जबकि अवाप्तशुदा भूमि 108 वर्गमीटर अवाप्त की गयी है जबकि इसका मुआवजा 1000 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से 11,62,080/– रूपये देय होता है, जो न तो तय किया गया है न अदा किया गया है। उक्त भूमि पर प्रार्थी की बाउण्ड्रीवाल, दुकानें निर्मित है। मौके पर निर्माण एक विश्वा भूमि अर्थात 1162.81 वर्गफीट भूमि अवाप्त हुई है लेकिन निर्माण मौके पर 50 गुणित 30 फीट पर किया गया है और अवाप्ति भी 1500 वर्गफीट भूमि हुई है। मुआवजा 108 वर्गमीटर का ही अदा किया गया है जिसकी कोई वेल्यूएशन रिपोर्ट तैयार नहीं करवाई गई। उक्त जायदाद प्रार्थी द्वारा क्रयशुदा है तथा इस पर प्रार्थी द्वारा निर्माण करने के पश्चात लाखों रूपये इसमें विनियोजित किये गये हैं। मौके पर उक्त अवाप्तशुदा भूमि का सही सीमांकन नहीं किया गया है और सही मुआवजा न तो निर्धारित किया गया है, न अदा किया गया है। इसके अतिरिक्त संरचना का मुआवजा निर्धारित ही नहीं किया है, न ही अदा किया गया है। प्रार्थी अवाप्ति दिनांक 30.09.2013 से 1 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त मुआवजा राशि पर क्षतिपूर्ति एवं सोल्यूशन राशि के रूप में 1.75 गुना राशि भूमि अर्जन एवं पुनःनिवासन अधिनियम 2013 के तहत प्रार्थी विपक्षी से प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा इस संबंध में मुआवजा अदा करने बाबत अपने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 12.06.2018 को प्रतिवेदन पेश किया था लेकिन मुआवजा अदा नहीं किया गया। उक्त अवाप्ति कार्यवाही में मुआवजा राशि नेशनल हाईवे प्राधिकरण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा भी भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवार्ड राशि अदा करने के निर्देश दिये

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

गये थे। दिनांक 01.01.2015 तक एवार्ड राशि अदा करने एवं सक्षम न्यायालय में जमा नहीं कराने पर उक्त अधिनियम के तहत मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिये गये थे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी मानसिंह के प्रकरण में मुआवजा राशि अदा करने के निर्देश दिये है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थी को नये अधिनियम के प्रावधानों की पालना में तय किये गये दिशा निर्देश अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर क्षतिपूर्ति राशि प्रथम अनुसूची के अनुसार तय करने के निर्देश दिये गये हैं लेकिन उक्त प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागु होने के उपरान्त भी प्रथम अनुसूची के अनुसार अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है। उक्त अनुसार प्रार्थी की मुआवजा राशि तय करवायी जावे तथा मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि के साथ शत प्रतिशत तोषण (Solatium) राशि भी प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। दिनांक 01.01.2015 तक न तो अदा किया गया है न ही जमा करवाया गया है। जबकि उक्त मुआवजा वर्तमान बाजार दर के अनुसार तय नहीं किया गया। अतः बाजार दर की तीन गुना राशि तथा इस पर दिनांक 07.03.2014 से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं तोषण (Solatium) राशि प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की भूमि जो उक्त अवाप्ति की कार्यवाही में अवाप्त की जा रही है उसका मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थी को विपक्षी से दिलवायी जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग शर्मा ने उपस्थिति दी। विपक्षी संख्या 01 एवं 03 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी। तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता ने प्रारम्भिक आपत्ती सहित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व ग्राम धानीन, तहसील व जिला–राजसमद में स्थित आराजी नम्बर 2594/101 रकबा 0.0108 हेक्टर के अवाप्ति में अवाप्त की गई भूमि के संबंध में नियमानुसार नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 03 (ए) के प्रावधानों के तहत तत्समय अवाप्ति कार्यावाही प्रचलित डी0एल0सी0 दर बावत् उप पंजीयक कार्यालय से प्राप्त जिला स्तरीय कमेटी (डी0एल0सी0) की कोई समुचित रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत नहीं की है जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः जिला स्तरीय कमेटी (डी0एल0सी0) की समुचित रिपोर्ट के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। नोटिफिकेशन 3 (ए) का प्रकाशन हुआ उस दिनांक को जो भी भूमि की किस्म रही है, उसी का मुआवजा प्रार्थी प्राप्त करने की अभिकारीता रखता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कारण पार्थना पत्र कब पैदा हुआ उसके बारे में कहीं भी कोई तथ्य दर्ज नहीं किया हैं। भूमि अवाप्ति जिसमें कि संबंधित अवाप्ति अधिकारी ने आराजी नम्बर 2594/101 रकबा 0.0108 हैक्टर की

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

भूमि की अवाप्ति की जो कार्यवाही की है उस बावत् भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड कब जारी किया गया उसका भी प्रार्थी की ओर से कोई स्पष्टीकरण दर्ज नहीं किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र देरीना प्रस्तुत किया है, यानि की भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा आदेश पारित होने की दिनांक से नियत समयावधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र बेरून मयाद है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बेरून मयाद होने के लिए दफा 5 मयाद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि प्रार्थी को अवार्ड की जानकारी कब हुई इसलिए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र मयाद के बाहर होने से पोषणीय नहीं है। प्रार्थी ने पत्रावली संख्या अधिसूचना क्रमांक 2946 (अ) दिनांक 30.09.2013 /2015 दिनांक 15.04.2015 में पारित अवार्ड का चैक भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी के नाम जारी कर दिया गया जो प्रार्थी ने लेने से अस्वीकार कर दिया है। प्रार्थी ने भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष भी यह साबित नहीं किया है कि प्रार्थी किस आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधि0 की धारा 03 (जी) (7) के तहत कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी द्वारा अब अवैधानिक तरीके से विधि के विपरित होकर यह प्रार्थना पत्र आप अदालत के समक्ष जो प्रस्तुत किया है, वह संधारणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है। विपक्षी द्वारा विधिवत रूप से कार्यवाही की गई है। राजसमंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या स्थान भीलवाड़ा से राजसमन्द तक के भू–खण्ड के निर्माण राजमार्ग चौड़ा करनेध्चार लेन बनाने आदि हेतु अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए हितधारको की भूमि को राजमार्ग निर्माण हेतु नियमानुसार अवाप्त किया गया जिसे नियमानुसार सभी विवादों से मुक्त होकर पूर्णरुप से केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में अवाप्त की गई जो पूर्णतया वैधानिक होकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी (3) के तहत आपत्तियों करने के उपरान्त लिए गए निर्णयानुसार, तहसीलदार राजसमंद से प्राप्त वर्तमान राजस्व अभिलेख एवं नौक को जांच रिपोर्ट अनुसार तत्समय प्रचलित दरों के माध्यम से खातेदार/हितधारी की अवाप्त की गई भूमि का प्रतिकर पूर्णतया वैधानिक तरीके से निष्पादित किया गया तथा प्रार्थों को नियमानुसार पुर्णरुपेण अवार्ड राशि जारी की जाकर चौक जरिये तहसीलदार प्रार्थी को निजवाया गया जिसे प्रार्थी ने लेने से अस्वीकार कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 03 (क) की अधिसूचना के समय की प्रचलित डी0एल0सी0दर देय होगी। उक्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 3 (जी) (3) के तहत आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्राप्त राजस्व अभिलेख एवं नौके को जाच रिपोर्ट एवं तत्समय प्रचलित दर अनुसार अवाप्त की गई भूमि का अवार्ड प्राधी को जारी किया है साथ हो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी (4) में स्पष्ट किया है कि A declaration made by the Central Government under sub-section (1) shall not be called in question in any court or by any other authority. अतः कानूनन प्रार्थी अब वेग आधारों पर जो न्यायिक सिद्धान्त उक्त प्रार्थना पत्र पर लागु होने का अंकन करके आया है वह विधि अनुसार उका प्रार्थना पत्र पर लागु नहीं होने से

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

खारिज होने योग्य है। विचाराधीन प्रकरण पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act 2013) के प्रावधान प्रभावी नहीं होते है। कोई भी पक्षकार स्वयं को पिडीत महशुस करता है तो उसके लिए आर्टिकल 226, 227 के तहत शक्तियां केवल मात्र माननीय उच्च न्यायालय में निहित है, भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान दिनांक 01.01.2015 से प्रभावित होने से प्रार्थी इस अधिनियम के तहत अब कोई अतिरिक्त राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि राजस्व ग्राम धानीन के खसरा संख्या 2594/101 रकबा 0.0108 हेक्टेयर को भी अवाप्त किया गया। जिसका मुआवजा मात्र 6,89,000/– रूपये तय किया गया है। उक्त अवाप्ति की कार्यवाही में प्रार्थी द्वारा रखे गये पक्ष के संबंध में किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर नहीं दिया और मौके पर उक्त भूमि जो अवाप्त की गयी है उसके संबंध में न तो मौके पर सर्वे किया गया, न ही मौके पर बनी हुई संरचना, बाउण्ड्रीवाल का मुआवजा निर्धारित किया गया है। उक्त भूमि के संबंध में अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा मात्र 1076 वर्गमीटर की दर से तय किया गया है जबकि उक्त भूमि की वर्तमान बाजार दर 1000 /– रूपये प्रति वर्गफीट है जबकि मुआवजा मात्र 100 रूपये प्रति वर्गफीट तय किया गया है। उक्त भूमि मुख्य सड़क नेशनल हाईवे संख्या 8 से सटी हुई है जिसकी तत्कालीन वाणिज्यिक दर भी डीएलसी अनुसार 1000 रूपये प्रति वर्गफीट थी। जबकि उक्त भूमि का मुआवजा आवासीय दर से निर्धारित किया गया है जबकि उक्त भूमि आबादी हेतु नियमन/रूपान्तरणशुदा है। राज्य सरकार नेशनल हाईवे से सटी हुई भूमि का पंजीयन किसी भी किस्म की होने पर भी वाणिज्यिक दर से पंजीयन की राशि स्टाम्प डयूटी के रूप में वसूल करती है लेकिन उक्त मामले में भूमि का मुआवजा मात्र 100 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से तय किया गया है जबकि अवाप्तशुदा भूमि 108 वर्गमीटर अवाप्त की गयी है जबकि इसका मुआवजा 1000 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से 11,62,080/– रूपये देय होता है, जो न तो तय किया गया है न अदा किया गया है। उक्त भूमि पर प्रार्थी की बाउण्ड्रीवाल, दुकानें निर्मित है। मौके पर निर्माण एक विश्वा भूमि अर्थात 1162.81 वर्गफीट भूमि अवाप्त हुई है लेकिन निर्माण मौके पर 50 गुणित 30 फीट पर किया गया है और अवाप्ति भी 1500 वर्गफीट भूमि हुई है। मुआवजा 108 वर्गमीटर का ही अदा किया गया है जिसकी कोई वेल्यूएशन रिपोर्ट तैयार नहीं करवाई गई। उक्त जायदाद प्रार्थी द्वारा क्रयशुदा है तथा इस पर प्रार्थी द्वारा निर्माण करने के पश्चात लाखों रूपये इसमें विनियोजित किये गये हैं। मौके पर उक्त अवाप्तशुदा भूमि का सही सीमांकन नहीं किया गया है और सही मुआवजा न तो निर्धारित किया गया है, न अदा किया गया है। इसके अतिरिक्त संरचना का मुआवजा निर्धारित ही नहीं किया है, न ही अदा किया गया है। प्रार्थी अवाप्ति दिनांक 30.09.2013 से 1 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज भी प्राप्त करने के

अधिकारी है। उक्त मुआवजा राशि पर क्षतिपूर्ति एवं सोल्यूशन राशि के रूप में 1.75 गुना राशि भूमि अर्जन एवं पुनःनिवासन अधिनियम 2013 के तहत प्रार्थी विपक्षी से प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त अनुसार प्रार्थी की मुआवजा राशि तय करवायी जावे तथा मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि के साथ शत प्रतिशत तोषण (Solatium) राशि भी प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। दिनांक 01.01.2015 तक न तो अदा किया गया है न ही जमा करवाया गया है। जबकि उक्त मुआवजा वर्तमान बाजार दर के अनुसार तय नहीं किया गया। अतः बाजार दर की तीन गुना राशि तथा इस पर दिनांक 07.03.2014 से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं तोषण (Solatium) राशि प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थीगण को विपक्षी से दिलवायी जावे।

विपक्षी संख्या 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व ग्राम धानीन, तहसील व जिला–राजसमद में स्थित आराजी नम्बर 2594/101 रकबा 0.0108 हेक्टर के अवाप्ति में अवाप्त की गई भूमि के संबंध में नियमानुसार नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 03 (ए) के प्रावधानों के तहत तत्समय अवाप्ति कार्यावाही प्रचलित डी0एल0सी0 दर बावत् उप पंजीयक कार्यालय से प्राप्त जिला स्तरीय कमेटी (डी0एल0सी0) की कोई समुचित रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत नहीं की है जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः जिला स्तरीय कमेटी (डी0एल0सी0) की समुचित रिपोर्ट के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बेरून मयाद होने के लिए दफा 5 मयाद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि प्रार्थी को अवार्ड की जानकारी कब हुई इसलिए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र मयाद के बाहर होने से पोषणीय नहीं है। प्रार्थी ने पत्रावली संख्या अधिसूचना क्रमांक 2946 (अ) दिनांक 30.09.2013 /2015 दिनांक 15.04.2015 में पारित अवार्ड का चैक भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी के नाम जारी कर दिया गया जो प्रार्थी ने लेने से अस्वीकार कर दिया है। प्रार्थी ने भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष भी यह साबित नहीं किया है कि प्रार्थी किस आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधि0 की धारा 03 (जी) (7) के तहत कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी द्वारा अब अवैधानिक तरीके से विधि के विपरित होकर यह प्रार्थना पत्र आप अदालत के समक्ष जो प्रस्तुत किया है, वह संधारणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है। विपक्षी द्वारा विधिवत रूप से कार्यवाही की गई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश न्यायहित में बक्षाया जावे।

विपक्षी संख्या 01 व 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड एवं मौके की स्थिति व संरचना अनुसार कार्यवाही करते हुए मुआवजा राशि अदा की गयी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना आधारहीन होने से पोषणीय नहीं होकर खारिज योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहन महन किया गया। हमने पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर हुआ है कि आवेदक की अवाप्तशुदा आबादी भूमि के मुआवजे का अवार्ड दिनांक 15.04.2015 को पारित किया गया है। इस अवार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इसमें किसी प्रकार के सोलेशियम (Solatium) व ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि यह स्पष्ट है कि दिनांक 01.01.2015 के बाद जारी किए जाने वाले मुआवजे का निर्धारण नए अधिनियम 2013 के अनुसार होना चाहिए। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## :: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रकरण सक्षम प्राधिकारी भू अवाप्ति अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं कि आवेदक को मिलने वाले मुआवजे का निर्धारण नए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की मूल अवार्ड पत्रावली सक्षम प्राधिकारी भू अवाप्ति अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरूण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द